झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

महत्वपूर्ण सूचना

दिनांकः 15.01.2019

सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 01.11.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 235 अनु॰ दिनांक 10.01.2019 के माध्यम से यह निदेश दिया गया है कि अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य (झारखण्ड राज्य) में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

2. आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 04/2018 एवं 05/2018 के आलोक में क्रमशः उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2018 तथा विशेष शाखा आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के लिए आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। उक्त परीक्षाओं की विवाहित झारखण्ड राज्य की महिला अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए वे झारखण्ड राज्य से पिता के पते के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र भरें अन्यथा उन्हें इस राज्य में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह झारखण्ड राज्य में हुआ है उन्हें भी इस राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

ह॰/–
सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।